भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4175

(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में एनआरएलएम की भूमिका

4175. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:
श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विशेष रूप से वेल्लोर, रानीपेट और तिरुप्पत्तूर जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वेल्लोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एनआरएलएम के तहत युवाओं के रोजगार की स्थिति क्या है और वेल्लोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की व्यापक योजना के अंतर्गत , ग्रामीण विकास मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं , अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई):** डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक वेतन वाली नौकरियाँ मिलती हैं। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%), और दिव्यांगजनों (5%) के सामाजिक समावेशन का प्रावधान करते हैं।

ii. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):** आरएसईटीआई एक बैंक-अग्रणी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का खर्च भी वहन करता है। 18-50 वर्ष की आयु का कोई भी बेरोजगार युवा , जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने की इच्छा रखता है, आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। कुछ प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियमित वेतन वाला रोजगार/मजदूरी रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

तमिलनाडु के वेल्लोर, रानीपेट और तिरुप्पत्तूर जिलों में वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक जून 2025 तक एनआरएलएम के तहत डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई योजनाओं के तहत प्रशिक्षित/नियोजित/रोजगार प्राप्त युवाओं का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	**डीडीयू-जीकेवाई**		**आरएसईटीआई**	
जिला	**प्रशिक्षित**	**नियोजित**	**प्रशिक्षित**	**नियोजित**
वेल्लोर	1446	814	9998	6772
रानीपेट	1387	908	2943	2193
तिरुप्पत्तूर	1283	755	2891	2054

*****